राज्य सभा
विदाई उद्गार -250वां सत्र
(13 दिसम्बर, 2019)

श्री सभापति : माननीय सभा के नेता श्री थावर चन्द गहलोत; माननीय विपक्ष के नेता श्री गुलाम नबी आज़ाद; विभिन्न दलों के नेता और इस महती सभा के सदस्यगण!

इस महती सभा का ऐतिहासिक 250वां सत्र आज समाप्त हो रहा है। राज्य सभा के इतिहास में इस युगांतरकारी अवसर से जुड़ने पर आप सभी के साथ मुझे भी गर्व महसूस हो रहा है। मैं इस सम्मान के लिए आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ।

मैं ऐसे ऐतिहासिक सत्र से विशेष रूप से प्रसन्न हूँ, जिसका समापन एक सुखद अनुभूति के साथ हो रहा है जिसमें सदस्यों ने इस सत्र के दौरान वाद-विवाद की उत्पादकता और गुणवत्ता के मामले में अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। आपको स्मरण होगा कि पिछले सत्र के अंत में मेरे द्वारा व्यक्त किए गए विदाई उद्गादर के दौरान, मैंने कहा था कि इस महती सभा के कार्यकरण में आवश्यक बदलाव लाने के कारण आप सभी को सुखद अनुभूति प्राप्त हुई होगी। मैंने पिछले सत्र को, किए गए कई कार्यों और मापदंडों के संदर्भ में, सर्वोत्तम सिद्ध करने के लिए भी आप सभी की प्रशंसा की थी।

आपको यह भी स्मरण होगा कि इस ऐतिहासिक 250वें सत्र की शुरुआत में मैंने आप सभी से पिछले सत्र की सकारात्मक गति बनाए रखने की अपील की थी। मुझे खुशी है कि सामूहिक रूप से आप सभी की इस संबंध में सकारात्मक प्रतिक्रिया रही है और आपने इस सुखद अनुभव को बनाए रखा है।

मैं इस ऐतिहासिक सत्र को 'गंभीरता और संक्षिप्तता' युक्त सत्र के रूप में चिह्नित करना चाहता हूँ। गंभीरता इस महती संस्था की गरिमा को बढ़ाने के उद्देश्य की भावना से पैदा हुई है। समय-सीमा का पालन करने से संक्षिप्तता आई है जिसके परिणामस्वरूप इस सत्र के दौरान अधिक संख्या में तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए हैं और 'शून्य काल' के मुद्दे एवं 'विशेष उल्लेख' अधिक संख्या में किए गए तथा अधिक संख्या में सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया।

मैं आप सभी के द्वारा सामूहिक रूप से यह दिखाए जाने पर विशेष रूप से प्रसन्न हूँ कि संसदीय लोकतंत्र का टकराव की तुलना में विचारों और विचारधाराओं की लड़ाई

से अधिक संबंध है क्योंकि टकराव के केन्द्र में संघर्ष की एक झलक होती है। कई मौकों पर बहस की गुणवत्ता इस बात को की पुष्टि करती है।

संसदीय लोकतंत्र की प्रभावोत्पादकता मुख्य रूप से विधानमंडलों के कुशल कार्यकरण पर निर्भर है। देश भर में विधानमंडलों के कार्यकरण में आई निष्क्रियता से लोगों में एक असंतोष की भावना है। मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस उच्च सदन ने पिछले और इस सत्र के दौरान 100 प्रतिशत उत्पादकता लाकर एक सकारात्मक संदेश देने के अपने संकल्प का प्रदर्शन किया है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि यह नया मानदंड आने वाले समय में कायम रहेगा। जब भी समय की बर्बादी हुई, हमने अतिरिक्त समय बैठकर इस नुकसान की भरपाई की। यही कारण है कि यह प्रतिशत प्राप्त हुआ है।

अर्थव्यवस्था की स्थिति, पेगासस स्पाइवेयर मुद्दा, सरोगेसी विधेयक और नागरिकता (संशोधन) विधेयक आदि पर हुए वाद-विवाद में इस महती सभा के सभी पक्षों से उत्तम-से-उत्तम बातें सुनने को मिलीं। दोनों पक्षों की ओर से जोशपूर्ण तर्क-वितर्क किए गए। जब विपक्ष ने अपनी चिंताएं व्यक्त कीं तो सत्ता पक्ष ने उसी भावना के साथ उनका समाधान किया। वाद-विवाद की इस परिवर्द्धित गुणवत्ता को मीडिया में उचित रूप से स्थान दिया गया जिससे यह सिद्ध होता है कि सिर्फ व्यवधान को ही स्थान नहीं मिलता है बल्कि सार्थक वाद-विवाद को इससे भी अधिक जगह दी जाती है। मैं आप सभी को इसके लिए बधाई देता हूँ।

यह सत्र इस महती संस्था के 250वें सत्र के ऐतिहासिक अवसर पर 'भारतीय राज्यव्यवस्था में राज्य सभा की भूमिका और भविष्य की राह' पर विचार करते हुए शुरु हुआ है। इसने हमें अब तक की यात्रा के बारे में विचार करने और इस बात का आत्मनिरीक्षण करने का अवसर प्रदान किया कि इस सभा को अपने अधिदेश को और अधिक प्रभावी ढंग से पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। आप में से कई ने इस सभा के बेहतर कार्यकरण के लिए 80 से अधिक सुझाव दिए हैं और उन पर मैं विचार कर रहा हूँ।

यह संयोग की बात है कि इस सत्र के दौरान हम भारत के संविधान, जो देश का कानून है, को अपनाये जाने की 70वीं वर्षगांठ जैसे एक अन्य मील के पत्थर के साक्षी बने। इससे हमें राष्ट्र निर्माण की दिशा में संविधान में निहित नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिला।

माननीय सदस्यगण, मैं अब आप सभी के समक्ष साक्ष्य के रूप में कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूंगा, जो बताते हैं कि आप सभी सामूहिक रूप से पिछले सत्र की अत्यधिक उत्पादकता की सकारात्मक भावना को बरकरार रखते हुए राज्य सभा के कार्यकरण को संभाल रहे हैं जो कुछ समय से कठिन परिस्थितियों से गुजर रही थी।

जहां, पिछले सत्र में कार्य-निष्पादन के लिए उपलब्ध समय से अधिक समय तक कार्य करके 104 प्रतिशत की उत्पादकता दर्ज की गई थी, इस सत्र में भी लगभग 100 प्रतिशत उत्पादकता दर्ज की गई। यह शायद पहली बार हुआ है कि इस सदन ने लगातार दो सत्रों के लिए 100 प्रतिशत उत्पादकता दर्ज की है। मेरे लिए, यह इस बात का एक निश्चित प्रमाण है कि इसका कार्यकरण संभल रहा है और इसका श्रेय सामूहिक रूप से आप सभी को जाता है। इस सत्र के दौरान 20 बैठकों के लिए उपलब्ध 108 घंटे 33 मिनट के कुल निर्धारित समय की जगह इस सभा ने 107 घंटे 11 मिनट कार्य किया, जिसके परिणामस्वरूप 99 प्रतिशत की उत्पादकता रही। दुर्भाग्यवश, विघ्न और व्यवधान के कारण कुल 11 घंटे 47 मिनट समय बर्बाद हुआ जो सभा के लिए उपलब्ध समय का लगभग 11 प्रतिशत है। तथापि, कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर माननीय सदस्यों ने निर्धारित समय के बाद 10 घंटे 52 मिनट तक कार्य किया, जिसके परिणामस्वरूप इस सत्र के दौरान लगभग 100 प्रतिशत की उत्पादकता प्राप्त हुई। इस सत्र के दौरान पंद्रह विधेयकों को पारित किया गया है, जिसमें उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक जैसे कुछ ऐतिहासिक विधेयक शामिल हैं, जो उभयलिंगी व्यक्तियों के लाभ के लिए अपनी तरह का पहला विधेयक है। मुझे यह देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि मीडिया इस विधेयक पर ध्यान नहीं दे रहा है जबकि यह पहली बार है कि उभयलिंगी व्यक्तियों की आवाज़ दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जोर-शोर से गूंज रही है। इस सत्र के दौरान पारित अन्य प्रमुख विधेयकों में नागरिकता संशोधन विधेयक, विधानमंडलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण को और दस साल तक बढ़ाने वाला संविधान (126 वां संशोधन) विधेयक, ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विधेयक शामिल हैं। लंबे समय के बाद, इस सभा ने विनियोग विधेयक पर भी चर्चा की और उसे लौटाया। आपने निर्धारित समय से लगभग तीन घंटे देर तक बैठकर पर्याप्त चर्चा के साथ कल रिकॉर्ड चार विधेयकों को पारित किया है। यह इस बात को दर्शाता है कि, यदि आप चाहें तो आप इसे कर सकते हैं और आपने इसे किया भी है। मैं आप सभी की सराहना करता हूँ। कार्य की विभिन्न मदों पर समय के आवंटन के संबंध

में जानकारी देते हुए कहना चाहता हूँ कि कुल कार्यात्मक समय का 39 प्रतिशत विधान कार्य पर खर्च किया गया है, 25.4 प्रतिशत समय अल्पकालिक चर्चा के अंतर्गत अविलंबनीय लोक महत्व के मुद्दे उठाने और उन पर चर्चा, दो ध्यानाकर्षण सूचनाएं, शून्य काल और विशेष उल्लेख पर व्यतीत हुआ, 13 प्रतिशत समय कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रश्नों के समय पर तथा 5 प्रतिशत समय गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर व्यतीत हुआ। इस सत्र के संक्षिप्त आयाम पर आते हुए, जिसका मैंने पहले उल्लेख किया था, इस सत्र के दौरान 171 तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए, जो पूछे जाने वाले कुल 255 प्रश्नों का 67 प्रतिशत हैं। यह आंकड़ा बताता है कि प्रति दिन 9.5 प्रश्नों के मौखिक रूप से उत्तर दिए गए, जो उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 1971 के बाद पिछले 49 वर्षों का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। पिछला सबसे अच्छा आंकड़ा प्रति दिन 8.71 तारांकित प्रश्नों के मौखिक रूप से उत्तर दिए जाने का है जो वर्ष 2003 में 198वें सत्र से संबंधित है। पिछले सत्र के दौरान, 40.27 प्रतिशत सूचीबद्ध तारांकित प्रश्नों के मौखिक रूप से उत्तर दिए गए थे। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि विगत वर्षों में यह प्रवृत्ति रही है कि आमतौर पर प्रति दिन चार से पांच तारांकित प्रश्नों के मौखिक रूप से उत्तर दिए जाते रहे हैं। यह इस सत्र के दौरान प्राप्त किए गए पर्याप्त सुधार और पहले की स्थिति के बीच अंतर को दर्शाता है। यह माननीय सदस्यों और मंत्रियों द्वारा संक्षेप में प्रश्न पूछकर और उत्तर देकर किए गए सहयोग के कारण संभव हो पाया है। यदि आप और सुधार करते हैं, तो हम आने वाले दिनों में और प्रश्न ले सकते हैं। परिणामस्वरूप, इस सत्र के दौरान चार दिन सभी सूचीबद्ध तारांकित प्रश्नों को लिया जा सका और उनके उत्तर दिए गए, जो कि एक दुर्लभ बात है। सभी प्रश्न लिए गए। हम आज भी ऐसा कर सकते थे! मैं आप सभी को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। इस सत्र के दौरान व्यवधान के कारण प्रश्नों के समय को दो दिन नहीं लिया जा सका था और यह नहीं होता तो दैनिक प्रदर्शन और भी बेहतर हो सकता था। मुझे यकीन है कि विधानमंडल में कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने के अधिदेश के निर्वहन में आप सभी प्रश्नों के समय के महत्व को समझेंगे। इस सत्र के दौरान, प्रति दिन क्रमशः 14 और 7 से भी अधिक की रिकॉर्ड दर से कुल 199 'शून्य काल' के मुद्दे और 115 'विशेष उल्लेख' किए गए। यह स्वयं में भी एक रिकॉर्ड है। यह पिछले सत्र के दौरान प्रति दिन लिए गए 'शून्य काल' के 9 मुद्दे और 5.5 'विशेष उल्लेख' की तुलना में बड़ा सुधार है। इस सत्र के दौरान, सभा में मातृभाषा में अधिक से अधिक बोलने की मंशा स्पष्ट रूप से दिखाई दी है।

इस महती संस्था की स्थापना के 67 वर्षों बाद पहली बार, एक सदस्य संथाली भाषा में बोलीं, जो 22 अनुसूचित भाषाओं में से एक है, जिसका युगपत भाषांतरण किया गया। हिंदी के अलावा, सदस्य अन्य भारतीय भाषाओं जैसे संस्कृत, मैथिली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी और बांग्ला में भी बोले। जिसने भी यह पहल की है, मैं उन सभी की प्रशंसा करता हूँ और मैं अन्य सदस्यों से भी भविष्य में अपनी मातृभाषा, विशेष रूप से अनुसूचित भाषाओं में अधिक से अधिक बोलने का प्रयास करने का आग्रह करता हूँ ताकि अनुवाद की व्यवस्था हो सके और हमारे लोग, निर्वाचन क्षेत्रों के लोग, इस महती सभा में आपके योगदान को समझ सकेंगे और उसकी सराहना कर सकेंगे। हमें अधिक-से-अधिक भारतीय भाषाओं का प्रयोग करना चाहिए और उसकी गूंज इस सदन में प्रतिध्वनित होनी चाहिए। संसद में अपनी मातृभाषाओं में बोलने वाले सदस्य लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित कर पायेंगे।

वास्तव में, मैं पूरे एक दिन के लिए सदन की कार्यवाही अपनी मूल भाषा तेलुगु में आयोजित करने का इच्छुक हूँ और एक दिन आप सभी के सहयोग से ऐसा करने की आशा करता हूँ। भयभीत न हों; केवल एक दिन के लिए!

माननीय सदस्यगण, जबकि यह महती सभा अब बेहतर प्रदर्शन कर रही है जैसा कि पिछले सत्र और इस सत्र के प्रदर्शन से यह स्पष्ट है, विभाग संबंधित स्थायी समितियों और सभा की अन्य समितियों के कार्यकरण के बारे में एक चिंता उभरकर सामने आई है। मैंने अपनी चिंता को साझा करने के लिए इस महीने की 5 तारीख को इन सभी 20 समितियों के अध्यक्षों के साथ बैठक की। मुझे कुछ अध्यक्षों द्वारा बताया गया कि यह अपनी तरह की पहली बैठक थी। इसके बाद, मैंने इस सभा के सभी दलों और समूहों के नेताओं को पत्र लिखा है जिसमें उनसे हमारे संसदीय लोकतंत्र के कार्यकरण में उनकी भूमिका के महत्व को देखते हुए इन समितियों की बैठकों में उनकी मात्रात्मक और गुणात्मक भागीदारी सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है। मैं आप सभी से एक बार फिर अपनी अपील दोहराता हूँ कि आप इन समितियों और अन्य समितियों की बैठकों को और अधिक गंभीरता से लें। मुझे उम्मीद है कि स्थिति वहां भी सुधरेगी।

मैं आप सभी को और आपके परिवारों को क्रिसमस, अंग्रेजी नव वर्ष, संक्रांति और पोंगल के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ क्योंकि हम इन त्योहारों के बाद ही मिलेंगे। मेरी कामना है कि इस महती संस्था और अपने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन में हम सामूहिक रूप से और नई ऊंचाइयों की बढ़ें।

मैं माननीय उपसभापति, श्री हरिवंश जिनका इसमें बहुत बड़ा सहयोग मिला, सभा के नेता, विपक्ष के नेता, संसदीय कार्य मंत्री, सभी पैनल उपसभाध्यक्ष, महासचिव और अधिकारियों एवं सचिवालय कर्मचारियों की उनकी टीम, रक्षा-प्रेक्षा कर्मियों को उनके कठिन परिश्रम और सहायता के लिए धन्यवाद देता हूँ।

सदस्यों ने प्रश्नों के समय के दौरान सभा की कार्यवाही की अध्यक्षता करने वाले पैनल उपसभाध्यक्षों पर ध्यान दिया होगा। मुझे खुशी है कि जिनको भी यह ज़िम्मेदारी दी गई है, उन्होंने अच्छे से इसका निर्वहन किया है। मुझे खुशी है कि सदस्यों ने इसे सकारात्मक रूप में लिया है।

मैं इस सदन की कार्यवाही में अटूट रुचि लेने और इस सत्र के दौरान जोशपूर्ण वाद-विवाद की कवरेज के लिए मीडिया को भी धन्यवाद देता हूँ। मेरी मीडिया से अपील है कि सदन में जो हो रहा है, उसे कवर करें, लेकिन कृपया सभा में कही गई बातों को भी कवर करें। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि दिन के अंत में संदेश और बहस का उद्देश्य यह उजागर करना है कि माननीय सदस्यों ने सभा में क्या कहा है ताकि उन्हें भी प्रोत्साहन मिले, वे खुद को तैयार करें, नियमित रूप से सभा में आएं और जब भी उन्हें अपने विचारों, अपने मतों और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर मिले, तब अवश्य बोलें।

माननीय सदस्यगण, मैं कुछ छोटी-छोटी निराशाओं को छोड़कर जिससे कि बचा जा सकता था, इस सत्र के बारे में समग्र रूप से खुश हूँ। मुझे आशा है कि आप सभी सभापीठ की ओर से व्यक्त भावनाओं का ध्यान रखेंगे। यह पूरी सभा की सामूहिक भावना है। साथ ही, लोगों की अपेक्षाओं को भी ध्यान में रखें क्योंकि हम संसद का 250वां सत्र आयोजित कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद!

(**राष्ट्रीय गीत, वन्देमातरम् की धुन बजाई गई।**)

माननीय सभापति: सभा अनियत तिथि के लिए स्थगित की जाती है।

*****